

Annexure- II

CHECK LIST FOR MINOR MINERAL MINING PROJECT

1.	Date of application	:			
2.	Scrutiny fees payment details	:			
3.	Name & address of the Applicant	:			
4.	Name of the Minor Mineral	:			
5.	If river sand, name of the river	:			
6.	Whether new / existing Mine	:			
7.	Lease period	:			
8.	Area of the lease (ha)	:			
	a) Forest Land	:			
	i) If yes status of forest clearance	:			
	b) Non-forest land	:			
	c) Ownership of land	:			
9.	Location of mine	:			
	i) District	:			
	ii) Tahasil	:			
	iii) Village /Mouza	:			
	iv) Khata No.	:			
	v) Plot No. & Kisam	:	Sl. No.	Plot No.	Kisam
	vi) Co-ordinates of the site (Latitude and Longitude)	:			
10.	Environmental Sensitivity (should be mentioned clearly in Kilometers)				
Sl. No.	Area		Distance in Kilometer from the boundary of the lease area		
i.	Distance from the following infrastructural facilities				
	Nearest Railway line (with name)	:			
	Nearest National Highway (with name)	:			
	Nearest State Highway (with name)	:			
	Nearest Major District Road (with name)	:			
	Nearest Any Other Road (with name)	:			

	Nearest Railway bridge / road bridge	:	
	Nearest Electric transmission line pole or tower	:	
	Nearest Canal or check dam or reservoirs or lake or ponds	:	
	Nearest in-take point with name for drinking water / industrial use	:	
	Nearest intake for irrigation	:	
	Nearest River Embankment	:	
ii.	Nearest Sanctuary / National Park (along with name of the Sanctuary / National Park)	:	
iii.	Nearest reserve forest (with name)	:	
iv.	Nearest Archaeological site (along with the name of the Archaeological Site)	:	
v.	Nearest State boundaries	:	
vi.	Nearest Defense installations	:	
vii.	Nearest Densely populated or built-up area, distance from nearest human habitation (Name of the nearest habitation)	:	
viii.	High tide line	:	
ix.	Nearest Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, educational institutions, places of worship, community facilities)	:	
11.	Other mine(s) located within 500 meter from the periphery of the lease area		
Sl. No.	Name and address of the mine	Name of mineral	Lease area
(i)			
(ii)			
(iii)			
(iv)			

12. Other Proposals of the Same Lessee/proponent submitted for EC				
Sl. No.	Name and address of the mine	Name of mineral	Lease area	EC status
(i)				
(ii)				
(iii)				
13.	Whether the mining plan is approved? (Yes/No) If so, Name of the competent approving authority	:		
14.	Mining method (Specify whether excavator/detonator is used)	:		
15.	Whether any vegetation exists in the lease area? If so ,specify the type and quantity (number/area)	:		

**Counter signed and recommended for
Environmental Clearance**


**Certified that the information furnished
above are true to the best of my
knowledge**

Signature with seal of Tahasildar

Signature of Applicant

Encl: Documents:

1. Form-I duly filled.
2. Pre-feasibility Report (PFR).
3. Environment Management Plan (EMP).
4. District Survey Report for minor mineral as per the amended Notification S.O. No. 3977(E) dated 14.08.2018 issued by MoEF & CC, Govt. of India.
5. Full scape toposheet (1:50,000 scale) showing all features and depicting lease site.
6. Full scape village sheet showing location of the project and other mines within 500 meter.
7. Full scape Toposheet showing areas within 10 Km radius from the lease area including Sanctuary/National Park, if Any.
8. Lease permission /sanction order of Competent Authority (Tahasildar).
9. Scrutiny fee payment details
10. Category of land and conversion document, if required
11. Approved mining plan along with approval letter.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3181]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 14, 2018/श्रावण 23, 1940

No. 3181]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 14, 2018/SHRAVANA 23, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2018

का. आ. 3977 (अ).—भारत सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के अधीन भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा निदेश दिया गया कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही उक्त अधिसूचना में सूचीबद्ध नई परियोजनाओं या क्रियाकलापों का अपेक्षित संनिर्माण या विद्यमान परियोजनाओं या क्रियाकलापों का विस्तार या आधुनिकीकरण, जिसमें प्रक्रिया या प्रौद्योगिकी या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन सहित क्षमता वर्धन, इसमें विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार से या उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक्तः गठित राज्यस्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के पश्चात् हो, भारत में किसी भी भाग में किया जाएगा ;

उक्त मंत्रालय ने राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी (एसईआईएए) और जिला पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारी को पर्यावरण अनापत्ति को प्रदान करने के संबंध में और अधिक शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए अनुरोध को स्वीकार किया है ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) उपबंध करता है कि जहां केंद्रीय सरकार का विचार है कि किसी उद्योग या किसी प्रक्रिया को चलाने या प्रचालन करने पर किसी क्षेत्र के प्रतिषेध या निर्बंधन अधिरोप किया जाना चाहिए तो ऐसे करने के अपने आशय का नोटिस देगी ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 में संशोधन करने के लिए ड्राफ्ट अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3933(अ) तारीख 18 दिसंबर, 2017 को प्रकाशित की गई थी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उक्त अधिसूचना के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 18 दिसंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्वोक्त वर्णित प्रारूप अधिसूचना पर प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक्तः विचार किया गया था ;

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, मद 1(क), 1(ग) और लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

परियोजना या कार्यकलाप		प्रारंभिक सीमा सहित प्रवर्ग		शर्तें यदि कोई हों
		क	ख	
1		खनन, प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण तथा विद्युत उत्पादन		(विनिर्दिष्ट उत्पादन क्षमता के लिए)
(क) (1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1(क)	(i) खनिजों का खनन (ii) पिच्छल पाइप लाईने (कोयला लिफ्ट और अन्य अयस्क) जो राष्ट्रीय उद्यानों/अभ्यारण्यों /कोरल रीफ, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों से गुजरती है	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में > हे. खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में > 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र खनन क्षेत्र पर विचार किए बिना अज़बेस्टो का खनन क्षेत्र सभी परियोजनाएं।	गैर कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 100 हे. खनन पट्टा क्षेत्र कोयला खनन पट्टे के संबंध में < 150 हे. खनन पट्टा क्षेत्र	सामान्य शर्तें लागू होंगी, सिवाय : (i) प्रवर्ग 'ख2' लघु खनिजों के खनन (25 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र तक) के लिए परियोजना का कार्यकलाप ; (ii) खनन पट्टा क्षेत्र के समूह की दशा में 'ख1' प्रवर्ग के लघु खनिज के खनन की परियोजना और क्रियाकलाप के लिए ; और (iii) अंतरराज्यीय सीमा के कारण नदी तल खनन परियोजनाएं। टिप्पण : (1) खनिज के पूर्वोक्षण को छूट दी गई है। (2) लघु खनिजों, जिनके अंतर्गत समूह अवस्थिति है, के खनन के लिए पर्यावरणीय अनापत्ति की विहित प्रक्रिया परिशिष्ट XI में दी गई है ;
1(ग)	(i) नदी घाटी परियोजनाएं (ii) सिंचाई परियोजना	(i) <50 मे.वा. जल विद्युत उत्पादन (ii) >50,000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र	(i) >25 मे.वा. और <50 मे.वा.जल विद्युत उत्पादन (ii) >2000 हे और <50,000 हे. खेती योग्य कमान क्षेत्र सिंचाई प्रणाली (क) लघु सिंचाई प्रणाली (<2000 हे.) (ख) मध्यम सिंचाई	साधारण शर्तें लागू होंगी टिप्पण : (i) एक से अधिक राज्य में आने वाली प्रवर्ग 'ख' नदी घाटी परियोजनाओं का मूल्यांकन केंद्रीय सरकार स्तर पर किया जाएगा ; (ii) किसी विद्यमान परियोजना द्वारा पर्यावरणीय लाभयुक्त सिंचाई प्रौद्योगिकी में परिवर्तन किया जाना (उदाहरणार्थ बाढ़ सिंचाई से ड्रिप सिंचाई) जिसके फलस्वरूप खेती योग्य कमान क्षेत्र में वृद्धि हो, किंतु बांध की ऊंचाई और जलमग्नता में वृद्धि न हो, के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं होगी।

			प्रणाली (>2000 <10,000 हे.)	(ख2 प्रवर्ग) तैयार करना अपेक्षित।	
			(ग) महा सिंचाई प्रणाली (≥10000 से <50000 हे.)	इआईए/इएमपी और राज्य स्तरीय (ख1 प्रवर्ग) तैयार करना अपेक्षित।	

लघु खनिज के पर्यावरणीय अनापत्ति पर अपेक्षाओं का स्कीम संबंधी प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत परिशिष्ट-XI में समूह स्थिति भी है

पट्टे का क्षेत्र (हेक्टेयर)	परियोजना का प्रवर्ग	ईआईए/ ईएमपी की अपेक्षा	लोक सुनवाई की अपेक्षा	ईसी की अपेक्षा	कौन ईआईए/ ईएमपी तैयार कर सकता है	ईसी के लिए कौन आवेदन करेगा	ईसी का मूल्यांकन/ स्वीकृति देने के लिए प्राधिकारी	ईसी की अनुपालना की मानीटरी करने के लिए प्राधिकारी
व्यष्टिक खनन पट्टे के आधार पर बालू खनन और अन्य लघु खनिजों के खनन के लिए ईसी प्रस्ताव								
0-5 हे.	'ख2'	प्रारूप-1 एमपीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईए एमआईआईए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एमओईएफसीसी अभिकरण द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे.	'ख2'	प्रारूप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईएमपी	नहीं	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>25 हे. और <100 हे.	'ख1'	प्रारूप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे.	'क'	प्रारूप-1 पीएफआर और डीएसआर अनुमोदित खनन योजना और ईआईए तथा ईएमपी	हां	हां	परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	
समूह स्थिति में बालू खनन और अन्य लघु खनिज के लिए ईसी प्रस्ताव								
5 हे. तक खनन पट्टे का समूह क्षेत्र	'ख2'	प्रारूप-1 एमपीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	डीईआईए एमआईआईए एपीसीबी सीपीसीबी एमओईएफसीसी एंजेसी द्वारा नामनिर्देशिती
>5 हे. और <25 हे. के खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के बिना किसी व्यष्टिक पट्टे के	'ख2'	प्रारूप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	डीईएसी/ डीईआईएए	

खनन पट्टे के समूह क्षेत्र, >5 हे. के किसी व्यष्टिक पट्टे के साथ	ख 2	प्रारूप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईएमपी	नहीं	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	एसईएसी/ एसईआईएए	
व्यष्टिक पट्टा आकार <100 हे. के साथ >25 के खनन पट्टों का समूह	'ख1'	प्रारूप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	सीईएसी/ एसईआईएए	
>100 हे. से किसी व्यष्टिक पट्टे के आकार का कोई समूह	'क'	प्रारूप-1 पीएफआर, डीएसआर और अनुमोदित खनन योजना तथा समूह में सभी पट्टों के लिए एक ईआईए/ईएमपी	हां	हां	राज्य, राज्य अभिकरण, परियोजना प्रस्तावकों का समूह, परियोजना प्रस्तावक	परियोजना प्रस्तावक	ईएसी/ एमओईएफसीसी	

[फा. सं. 19-2/2013-आईए. III (पार्ट. II)]

ज्ञानेश भारती , संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (ii) में का. आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित संख्याओं के द्वारा संशोधित किए गए :--

1. का.आ. 1949(अ), तारीख 13 नवम्बर, 2006;
2. का.आ. 1737(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2007;
3. का.आ. 3067(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009 ;
4. का.आ. 695(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 ;
5. का.आ. 156(अ), तारीख 25 जनवरी, 2012 ;
6. का.आ. 2896(अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012 ;
7. का.आ. 674(अ), तारीख 13 मार्च, 2013 ;
8. का.आ. 2204(अ), तारीख 19 जुलाई, 2013 ;
9. का.आ. 2555(अ), तारीख 21 अगस्त, 2013 ;
10. का.आ. 2559(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
11. का.आ. 2731(अ), तारीख 9 सितंबर, 2013 ;
12. का.आ. 562(अ), तारीख 26 फरवरी, 2014 ;
13. का.आ. 637(अ), तारीख 28 फरवरी, 2014 ;
14. का.आ. 1599(अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का.आ. 2601(अ), तारीख 7 अक्टूबर, 2014 ;
16. का.आ. 2600(अ), तारीख 9 अक्टूबर, 2014 ;
17. का.आ. 3252(अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014 ;
18. का.आ. 382(अ), तारीख 3 फरवरी, 2015 ;
19. का.आ. 811(अ), तारीख 23 मार्च, 2015 ;
20. का.आ. 996(अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015 ;

21. का.आ. 1142(अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015 ;
22. का.आ. 1141(अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015 ;
23. का.आ. 1834(अ), तारीख 6 जुलाई, 2015 ;
24. का.आ. 2571(अ), तारीख 31 अगस्त, 2015,
25. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 सितंबर, 2015,
26. का.आ. 141(अ) 15 जनवरी, 2016,
27. का.आ. 648(अ) तारीख 3 मार्च, 2016 ;
28. का.आ. 2269(अ) तारीख 1 जुलाई, 2016 ;
29. का.आ. 2944(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2016;
30. का.आ. 3518(अ), तारीख 23 नवंबर, 2016 ;
31. का.आ. 3999(अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का.आ. 4241(अ), तारीख 30 दिसम्बर, 2016; और
33. का.आ. 3611(अ), तारीख 25 जुलाई, 2018 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2018

S.O. 3977(E).— Whereas, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government directed that on and from the date of its publication, the required construction of new projects or activities or the expansion or modernisation of existing projects or activities listed in the Schedule to the said notification entailing capacity addition with change in process or technology or product mix shall be undertaken in any part of India only after prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

And whereas, the said Ministry has received requests, for delegation of more powers to State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA) and District Environment Impact Assessment Authority (DEIAA) with respect to grant of Environment Clearances;

And whereas clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, whenever the Central Government considers that prohibition or restrictions of any industry or carrying on any processes or operation in any area should be imposed, it shall give notice of its intention to do so;

And whereas, a draft notification for making amendments in the Environment Impact Assessment Notification, 2006 in exercise of the powers conferred under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 read with clause (d) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 was published, vide number S.O.3933 (E) dated the 18th December 2017, inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date of publication of said notification in the Gazette of India;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 18th December 2017;

And whereas, all objections and suggestions received in response to the above mentioned draft notification have been duly considered by the Central Government;

			(c) Major irrigation system (≥10,000 to < 50,000 ha.)	Required to prepare EIA/EMP and to be dealt at State Level (B ₁ category).	
--	--	--	---	---	--

Schematic Presentation of Requirements on Environmental Clearance of Minor Minerals including cluster situation in Appendix-XI:

Area of Lease (Hectare)	Category of Project	Requirement of EIA / EMP/ DSR	Requirement of Public Hearing	Requirement of EC	Who can prepare EIA/ EMP	Who will apply for EC	Authority to appraise/ grant EC	Authority to monitor EC compliance
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining on the basis of individual mine lease								
0 – 5ha	'B2'	Form –IM, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
> 5 ha and < 25 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EMP	No	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
≥ 25ha and ≤ 100ha	'B1'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	SEAC / SEIAA	
> 100 ha	'A'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and EIA and EMP	Yes	Yes	Project Proponent	Project Proponent	EAC/ MoEFCC	
EC Proposal of Sand Mining and other Minor Mineral Mining in cluster situation								
Cluster area of mine leases up to 5 ha	'B2'	Form –IM, PFR, DSR and Approved Mine Plan	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	DEIAA SEIAA SPCB CPCB MoEFCC Agency nominated by MoEFCC
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with no individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	DEAC/ DEIAA/	
Cluster area of Mine leases > 5 ha and < 25 ha with any individual lease > 5 ha	'B2'	Form –I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EMP for all leases in the Cluster	No	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/ SEIAA	

Cluster of mine leases of area ≥ 25 hectares with individual lease size ≤ 100 ha	'B1'	Form -I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP for all leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	SEAC/SEIAA	
Cluster of any size with any of the individual lease > 100 ha	'A'	Form -I, PFR, DSR and Approved Mine Plan and one EIA/EMP for all leases in the Cluster	Yes	Yes	State, State Agency, Group of Project Proponents, Project Proponent	Project Proponent	EAC/MoEFCC	

[F. No. 19-2/2013-IA.III (Pt.II)]

GYANESH BHARTI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers: -

1. S.O. 1949 (E) dated the 13th November, 2006
2. S.O. 1737 (E) dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E) dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E) dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E) dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E) dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E) dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E) dated the 19th July 2013;
9. S.O. 2555 (E) dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E) dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E) dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E) dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E) dated the 28th February, 2014;
14. S.O. 1599 (E) dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E) dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E) dated the 9th October, 2014
17. S.O. 3252 (E) dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E) dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E) dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E) dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E) dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E) dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E) dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E) dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E) dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E) dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E) dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E) dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E) dated the 14th September, 2016;

-
30. S.O. 3518 (E) dated 23rd November 2016;
 31. S.O. 3999 (E) dated the 9th December, 2016;
 32. S.O. 4241(E) dated the 30th December, 2016; and
 33. S.O. 3611(E) dated the 25th July, 2018.